तत्काल

संख्या 24/215/2014–पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 15–7–2014

आदेश

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील।

यतः श्री गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर के आवेदन दिनांक 12.04.2014, जो राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा आवेदन के बिन्दु 2 एवं 3 के निस्तारण के लिए गृह मंत्रालय को अंतरित की गई थी एवं जो दिनांक 29.04.2014 को प्राप्त हुई थी, में पदम पुरस्कारों से संबंधित सूचनाएँ माँगी गई थी।

2. यतः केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को संबंधित सूचना समसंख्यक पत्र दिनांक 20.05.2014 द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी।

3. यतः श्री मधुकर ने अपने पत्र दिनांक 04.06.2014 (दिनांक 06.06.2014 को प्राप्त) में यह अपील की है कि केन्द्रिय जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना गलत एवं भ्रामक है।

4. श्री मधुकर द्वारा दी गई अपील का अवलोकन किया गया एवं यह पाया गया कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को उपलब्ध कराई गई सूचना सही है। आवेदक का नाम स्व नामांकन पत्र द्वारा पदम पुरस्कार 2014 के लिए अंतिम तिथि से पहले प्राप्त होने के कारण एजेंडे में शामिल था। किन्तु आवेदक के लिए श्री कैलाश यादव, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश का अनुशंसा पत्र दिनांक 29.12.2013 निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने के कारण उसे अनुशंसा के रूप में एजेंडे में शामिल नही किया जा सका था।

5. तदनुसार इस अपील का निस्तारण किया जाता है। इस अपील का निस्तारण कार्य की अधिकता के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (6) के अंतर्गत 30 दिनों के बाद परन्तु 45 दिनों के अन्दर किया जा रहा है।

15/7/14
(सतपाल चौहान)
संयुक्त सचिव (प्रशा0)
एवं अपीलीय अधिकारी
दुरभाषः 23093178

O/C

जारी किया
ISSUED
17 JUL 2014
MHA (NB)
हस्ताक्षर/Sign.........
प्रा. एवं प्रे./R&I

डॉ गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर,
स्टेशन रोड, गाजीपुर सिटी,
गजीपुर.233001,
उत्तरप्रदेश।

आर्डर टी अनुभाग

SI No. 4(R)

(366)

द्वारा स्पीड पोस्ट

CRN-291201/JS(A)&CVO/2014

समक्ष- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
श्री सत्यपाल चौहान जी,
संयुक्त सचिव (प्रशासन)
गृह मंत्रालय, कमरा नं0- 194
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली- 110001

विषय- **सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा- 19 (1) के अन्तर्गत ''पद्म अवार्डस्'' संबंधी डॉ0 गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर (Dr. G.R.V. Madhukar) द्वारा अपील।**

महोदय,

निदेशक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, के पत्र सं0-24/215/2014-पब्लिक दिनांक- 20-5-2014 (प्रति संलग्न एनेक्सर-1) से क्षुब्ध व पीडित होकर प्रार्थी डॉ0 गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर (Dr. G.R.V. Madhukar) द्वारा उपरोक्त विषयक अपील निम्नलिखित है :-

1- यह कि निदेशक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा बिन्दू सं0-2 व 3 का प्रतिउत्तर गलत एवं भ्रामक है जिससे क्षुब्ध व पीडित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट निर्देशानुसार निम्न आशय की अपील सादर प्रस्तुत करता है।

2- यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने गणतंत्र दिवस, 2014 को प्रदत्त पद्म अवार्डस् ''पद्म भूषण व पद्मश्री'' के संबंध में गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को अवर सचिव, भारत सरकार, गृह, नई दिल्ली के पत्रांक- 1/34/2013-पब्लिक दिनांक- 19-8-2013 संलग्न एनेक्सर-2 के अनुसार प्रार्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में वांछित विवरणी संलग्न Brief Citation सहित दिनांक- 28-8-2013 द्वारा स्पीड पोस्ट नं0-EU 143241355 IN दिनांक- 29-8-2013 को प्रेषित किया है जिसकी रसीद की छायाप्रति संलग्न एनेक्सर-3 है।

3- यह कि अवर सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक- 1/34/2013-पब्लिक दिनांक- 19-8-2013 के निर्देशानुसार उक्त आवेदन पत्र संलग्नक सहित वांछित Nomination A fresh उनके ई-मेल us public @ mha gov-in से निर्धारित प्रपत्र में संलग्न वांछित Brief Citation दो प्रतियों में दिनांक- 19-9-2013 (11.53 A.M.) भेजा है साथ ही उक्त आवेदन संलग्नक सहित ई-मेल hm @ nic - in तत्कालीन गृहमंत्री श्री सुशील कुमार शिन्दे, hm @ nic - in तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री आर0पी0एन0 सिंह, PMOSB @ PMO-nic - in पूर्व प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह आदि को प्रेषित किया गया है जिसका Forwarded Message dated 19-9-2013 (11.53 A.M) की छायाप्रति संलग्न एनेक्सर-4 है। इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि प्रार्थी/अपीलाण्ट का नामिनेशन दिनांक- 15-10-2013 से पूर्व हो चुका है। इस प्रकार प्रत्युत्तर-2 में उनका यह कथन कि मा0 कैलाश यादव, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ का संस्तुति पत्र

प्रमाणित किया है कि नामांकन हेतु प्रार्थी का उक्त आवेदन दिनांक- 28-8-2013 को संलग्न स्पीड पोस्ट रसीद सं0- EU 143241355IN दिनांक- 29-8-2013 और ई-मेल द्वारा दिनांक- 19-9-2013 को भी उक्त आवेदन पत्र संलग्नक सहित संबंधित अधिकारी व मंत्रीगण को भेजा गया है जो संलग्न Forwarded Message Reciept से स्पष्ट प्रमाणित है। कम्प्यूटर से भी इसकी पुष्टि की जा चुकी है। इस प्रकार उनका प्रत्युत्तर गलत व भ्रामक होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

8- यह कि बिन्दू-3 का प्रत्युत्तर इस आधार पर भी विश्वसनीय नहीं है कि पद्म पुरस्कार समिति द्वारा किसी भी नाम पर स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये कोई कारण अंकित नहीं करती है। इससे कैसे स्पष्ट हो सकता है कि चयन समिति ने किस व्यक्ति का चयन किया है। क्या यही स्थापित प्रक्रिया चयन, नियुक्ति, प्रोन्नति आदि सहित क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर पर भी लागू है जिन्हें जिस दिन सन्यास लेते है तभी उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा होती है। अगर नहीं तो प्रार्थी/अपीलाण्ट को उक्त सम्मान से किस आधार पर वंचित किया गया है। क्या यह न्यायसंगत है?

अतः निवेदन है कि मेरी अपील स्वीकार करते हुए मेरे आवेदन पत्र को पात्रता एवं योग्यता के अनुसार पद्म अवार्डस् (पद्म भूषण व पद्मश्री जो सर्वाधिक उपयुक्त हो) उसे प्रदान करने हेतु पुरस्कार समिति को भेजने की कृपा करें तथा उन्हें निदेशित करने का कष्ट करें कि मेरा नाम पद्म पुरस्कार की सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाय, ताकि सही तरीके से न्याय हो।

दिनांक- 04-06-2014

संलग्नक- यथोक्त।

प्रार्थी/अपीलाण्ट

5.6.14

(डॉ0 गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर)

(Dr. G.R.V. Madhukar)

फुल्लनपुर, स्टेशन रोड, गाजीपुर सिटी,
जिला- गाजीपुर- 233001 उ0प्र0
मो0नं0- 9453092556

सत्यापन

मैं डॉ0 गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर पुत्र स्व0 रामसनेही विश्वकर्मा, फुल्लनपुर, स्टेशन रोड, गाजीपुर सिटी, जिला- गाजीपुर (उ0प्र0) प्रार्थी/अपीलाण्ट सत्यापित करता हूँ कि अपील की धारा-1 लगायत 8 मेरी निजी जानकारी में सही व दुरूस्त है। इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। इसका सत्यापन आज दिनांक- 04-06-2014 को किया गया।

स्थान- गाजीपुर

दिनांक- 04-06-2014

5.6.14

डॉ0 गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर

ज्व 801 ... 30/4/14.

सूचना का अधिकार

0129/आर.टी.आई./04/14-15

राष्ट्रपति सचिवालय

PRESIDENT'S SECRETARIAT

आर.टी.आई. अनुभाग

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.
Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004.
24.04..2014

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर का दिनांक 12.04.2014 का आवेदन पत्र दिनांक 21.04.2014 को प्राप्त हुआ है। वांछित सूचना आपके द्वारा धारित/आपके कृत्यों से निकट रूप से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन पत्र की एक प्रति आपके कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने इसके लिए शुल्क के रूप में ₹ 10/- (रूपये दस मात्र) का भुगतान इस सचिवालय में कर दिया है।

भवदीय

(सौरभ विजय)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

29 APR 2014
75 - सी०आई०/गृह मं०

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
श्री गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर
डॉ. मधुकर, स्टेशन रोड, गाजीपुर सिटी
गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001.

वांछित सूचना इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। अत: आपका पत्र संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित किया जा रहा है। भविष्य में इससे संबंधित जानकारी के लिए उपरोक्त कार्यालय से सीधे संपर्क करें। सुचना क्रमांक 1 की उपलब्ध सूचना बाद में दी जाएगी।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

अनुभाग अधिकारी,
आर० टी० आई० अनुभाग,
गृह मन्त्रालय,
नई दिल्ली।

Dir (Adv)

द्वारा स्पीड पोस्ट

सेवा में,

सचिव/ओ0एस0डी0

राष्ट्रपति सचिवालय,

(पद्‌म अवार्ड)

राष्ट्रपति भवन,

नई दिल्ली- 110004

डायरी सं0/Dy. No. 124/RTI/1475
दिनांक/Date 21-4-14
हस्ताक्षर/Signature [illegible]

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत पद्‌म अवार्ड (पद्‌म भूषण/पद्‌मश्री) के संबंध मे डॉ0 गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर (Dr. G.R.V. Madhukar) द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में-

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निम्नांकित सूचना देने का कष्ट करें-

1- क्या प्रार्थी डॉ0 गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर (Dr. G.R.V. Madhukar) द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित पत्र दिनांक- 30-1-2014 (प्रति संलग्न) प्राप्त हो चुका है? यदि हॉ तो उस पर महामहिम जी का क्या आदेश हुआ है?

2- क्या गणतंत्र दिवस, 2014 को दी जाने वाली "पद्‌मश्री" के संबंध मे उ0प्र0 सरकार के कैबिनेट मंत्री मा0 कैलाश यादव जी द्वारा गृहमंत्री, भारत सरकार को प्रेषित संस्तुति दिनांक- 29-12-2013 (प्रति संलग्न) पर गृह मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है।?

3- क्या उक्त सम्मान उन व्यक्तियों को दिये जाने के लिये प्रावधानित है जिन्होंने साहित्य, कला,संस्कृति, लेखन, समाजसेवा के क्षेत्र मे उत्कृष्ट योगदान करके देश के गौरव को बढ़ावा देने वालो को भारत सरकार द्वारा दिया जाता है? यदि हॉ तो राजनीतिक और बौद्धिक संग्राम में लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित समाज के कमजोर वर्गो को राष्ट्रीय धारा मे जोडने एवं आत्मनिर्भर बनाने में संकल्पित जाने माने समाजसेवी रचनाकार प्रार्थी (डॉ0 मधुकर) का व्यक्तित्व एवं कृतित्व उक्त सम्मान से किस आधार पर वंचित किया गया है, सादर अवगत कराया जाय।

उक्त सूचना हेतु निर्धारित शुल्क द्वारा पोस्टल आर्डर नम्बर-25 F 583119 दिनांक-12-04-2014 रू0- 10/- मात्र इसके साथ संलग्न है।

कृपया निम्न पता पर सूचित करने का कष्ट करें।

दिनांक- 12-04-2014

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

12-4-14

(डॉ गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर)

डॉ0 मधुकर, स्टेशन रोड, गाजीपुर सिटी,
गाजीपुर- 233001 (उ0प्र0)
मो0नं0- 9453092556

152340
17/4/14

पंजीकृत / स्पीडपोस्ट

समक्ष,

FAX. 011-23017290
011-23017824

महामहिम राष्टपति जी,

राष्ट्रपति भवन,

नई–दिल्ली।

विषयः– **गणतन्त्र दिवस 2014 को प्रदत्त पदम अवार्ड (पदमभूषण / पदमश्री) के सम्बन्ध में डॉ0 गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर (Dr. G.R.V. Madukar) का प्रार्थना पत्र।**

मान्यवर,

प्रार्थी डॉ0 गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर (Dr. G.R.V. Madukar) जनपद–गाजीपुर उ0प्र0 के मूल निवासी है। गृह सचिव भारत सरकार नई–दिल्ली के निर्देशानुसार उक्त नागरिक सम्मान हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन Citation सहित दिनांक 30.07.2013 व 28.08.2013 को दिया है। इस पर जिलाधिकारी, गाजीपुर व आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी द्वारा प्रबल संस्तुति सहित शासन को पद्मश्री हेतु भेजा था, उ0प्र0 के कैबिनेट मंत्री कैलाश सिंह ने भी इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति गृहमंत्री भारत सरकार को भेजी है।

प्रार्थी अपने गरिमामयी कृतित्व एवं योगदान से समाज एवं राष्ट्र को आलोकित किया है तथा अपने कृतित्व एवं उत्कृष्ट कार्यो से प्रदेश के नाम पर पूरे देश में गौरान्वित किया है। प्रार्थी द्वारा समाज राष्ट्र के मूल्यो एवं आदर्शो के वौद्धिक सांस्कृतिक चेतना को आगे बढाने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। साथ ही साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यावरण, सृजन, निर्माण आदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रार्थी द्वारा सामाजिक कार्यो तथा रचनात्मकता को बढावा देने के उत्कृष्ट कार्यो में महान योगदान किया है। प्रार्थी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत तथा भारत के लोगों का सम्मान बढाने में विशेष योगदान दिया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा एशियाई देशो की जनता व राष्ट्रो में क्षेत्रीय व विश्व स्तरीय एकता, मेल–मिलाप, शान्ति, सहयोग, सहअस्तित्व आदि मानवीय क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान हेतु अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पुष्कार से सम्मानित है। जो किसी सम्मानित भारतीय खिलाड़ी व पदम् पुरूस्कृत से कम आंका जाना न्योचित नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रगतिशील, बुद्धिजीवी, पत्रकार, रचनाकर, साहित्यकार, इतिहासकार, संघों ने उपरोक्त विषयक चयन प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं भी श्रीमान् जी से न्याय की गुहार करता हूँ तथा इसका पुर्न मूल्यांकन करने की सादर अपील करता हूँ।

अतः महामहीम जी से करबद्ध प्रार्थना है कि उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे आवेदन पत्र पर पुनर्विचार करने की महती कृपा करें तथा उपयुक्त पाये जाने पर प्रार्थी को चयनित लोगों को श्रेणी में सम्मलित करने की कृपा करें।

दिनांक 30.01.2014

भवदीय

डॉ0 गुरूरामजी विश्वकर्मा मधुकर

डॉ0 मधुकर स्टेशन रोड
गाजीपुर सिटी
गाजीपुर उ0प्र0 233001
मो0नं0–9453092556

यादव
मंत्री
खादी एवं ग्रामोद्योग
उत्तर प्रदेश

मंत्री
उत्तर प्रदेश

दूर0 2235290
एफ-1, 2
7वां तल, बापू भवन,
लखनऊ

दिनांक 29.12.2013

सेवा में,

मा0 सुशील कुमार शिन्दे जी,

गृह मंत्री भारत सरकार,

नार्थ ब्लाक नई–दिल्ली

विषयः–आगामी गणतन्त्र दिवस 2014 को दी जाने वाली "पद्यमश्री" सम्मान के सम्बन्ध में।

"पद्यमश्री" सम्मान हेतु नामित डॉ0 गुरु रामजी विश्वकर्मा मधुकर विख्यात समाज सेवी, रचनाकार, साहित्यकार, इतिहासकार हैं। समाज सेवा, कला, संस्कृति, इतिहास, शोध परक मौलिक लेखन पर आधारित पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका विशिष्ट योगदान है। इनकी प्रकाशित कृतियों के सम्बन्ध में विभिन्न विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपतियों के पुरोवाक/संदेश एवं राष्ट्रीय आयोगों, राजनयिको के साक्षात्कार, भेंट वार्ता, आदि उक्त सम्मान हेतु ठोस आधार है। प्रार्थी का आवेदन पत्र साथ में संलग्न है।

अतः डॉ0 गुरु रामजी विश्वकर्मा मधुकर की विशिष्ट उपलब्धियों एवं उत्कृष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए। इनको उक्त सम्मान प्रदान करने हेतु अपनी प्रबल संस्तुति करता हूँ। कृपया इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें।

हार्दिक सम्मान सहित!

29/12/2013

कैलाश यादव
कैबिनेट मंत्री